अतिआवश्यक ई मेल

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ 5 (101) प्राशिमं / सामान्य / 2013–14 / दिनांक :

प्रधानाचार्य,

2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 50, 92, 94, 95, 97, 98, 181, 182.
30, 63, 115, 148, 149, 152, 199.

विषय :– सत्र् 2013–14 के लिये मण्डल से संबद्धता / संबद्धता नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ :– मण्डल पत्रांक एफ 5 (101) प्राशिमं / सामान्य / 2013–14 / 2209 दिनांक 01.04.13 एवं एफ 5 (101) प्राशिमं / सामान्य / 2013–14 / 2753 दिनांक 18.04.13.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा सत्र् 2013–14 के लिये मण्डल से संबद्धता / संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवश्यक संलग्नकों के साथ दिनांक 30.04.13 तक आवेदन करने के लिए आपको निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि दिनांक 30.04.13 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। (संदर्भित पत्रों की फोटो प्रतिलिपि मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।) मण्डल से संबद्धता / संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवश्यक संलग्नकों के साथ मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन करने का उत्तर दायित्व संस्थान का है।

मण्डल द्वारा बार–बार लिखने के उपरान्त भी आप द्वारा आज दिवस तक मण्डल से संबद्धता / संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन नहीं किया गया है। आवेदन किया भी गया है तो कुछ संलग्नक बकाया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि सत्र् 2013–14 के लिए मण्डल से संबद्धन नहीं होने के फलस्वरूप सत्र् 2013–14 में प्रवेशित अभ्यार्थियों का मण्डल में नामांकन नहीं किया जायेगा एवं न ही आपके संस्थान के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी एवं आपके संस्थान की होगी।

भवदीय

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

C:\GENERAL\General\Affilation\F 5 (101) Affialation 2013-14.doc

क्रमांक : एफ 5 (101) प्राशिमं / सामान्य / 2013–14 / 3253 दिनांक : - 9 MAY 2013

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राशिमं., जोधपुर।
3. नोडल अधिकारी (IT), को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।
4. श्री पुखराज पालीवाल, प्राशिमं. जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित को ई मेल द्वारा प्रेषित करें।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

C:\GENERAL\General\Affilation\F 5 (101) Affialation 2013-14.doc